न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 80 / 2022

जीसीएमएस संख्या: 2022 / 81

1. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी शिवसिंह जाति जाट निवासी गांव लाड़मपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. मीरा पुत्री शिवसिंह पत्नी हरिपाल जाति जाट निवासी गांव उसरा की [illegible] मोड़ पोस्ट ककुआ तहसील फतिहाबाद जिला आगरा उ0प्र0

बनाम

1. रामादेवी पत्नी बिजेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी भुम्पाल का पुरा चपरोली तहसील मनियां जिला धौलपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनियां जिला धौलपुर

दावा स्वत्व घोषणा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.[illegible]

निर्णय — दिनांक 07.07.2025

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 23.09.2022 को एक राजस्व वाद बाबत स्वत्व घोषणा एवं बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। [illegible] तहकीकात दिनांक 14.05.2024 को प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार मनियां से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार मनियां ने पत्रांक 591 दिनांक 27.06.2025 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार मनियां के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार मनियां से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 405, 565 / 121, 569 / 123, 574 / 126, 578 / 120 स्थिति ग्राम लाड़मपुरा तहसील मनियां जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1. पुष्पादेवी पत्नी शिवसिंह व मीरा पुत्री शिवसिंह पुत्री शिवसिंह हि0 बरा0 जाति जाट सा0 देह खातेदार	578 / 120	0.0506है0	वा0दो0
	574 / 126	0.0632है0	वा0[illegible]
	569 / 123	0.0126 है0	वा0[illegible]
	405 / 1	0.2192 है0	वा0[illegible]
2. रामादेवी पत्नी विजेन्द्रसिंह हि0 पूर्ण जाति गुर्जर सा0 भुम्पाल का पुरा खातेदार	565 / 121	0.0126 है0	वा0[illegible]
	405 / 2	0.1602	वा0[illegible]

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

कुल किता 6 रकबा 0.5184 हैक्टेयर बाकै ग्राम लाड़मपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर कुल लगान 0.98 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के कुल लगान 0 रूपये 98 पैसे के दोगुनी राशि पर देय मुद्रांक कर 1 रूपये 96 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिकी जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ० साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)